


RBE No.160/2019



PCPO's Sl.No.208/2019

No. E/210/O/ECR/HJP

Dated:- 04.11.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण /पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर/हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपुर।

विषय : उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को खेलकूद आधार पर बिना बारी पदोन्नति के अधिककारी ग्रेड प्रदान करना।

संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी


Dated: 27.09.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

  
 (सौरभ सावण)  
 वकाधि/ई.एस.एम  
 कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर


प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे./हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय  
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

आरबीई सं.160/2019

09 OCT 2019



रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 11

स्पष्टीकरण/शुद्धिकरण सं.106

भारत सरकार / Government of India  
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways  
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

सं.2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक),

ECR

सभी क्षेत्रीय रेलें और सीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू, आईसीएफ,  
आरसीएफ, आरडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,  
सीएओ (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला,  
महानिदेशक, आरडीएसओ/लखनऊ।

073670

09 OCT 2019

विषय: उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को खेलकूद आधार पर बिना बारी पदोन्नति के अधिकारी ग्रेड प्रदान करना।

प्रमुकाधि  
मुकाधि प्रशा  
मुकाधि/आईआर  
उप मुकाधि/राज  
उप मुकाधि  
उप मुकाधि/आईओ  
मुकाधि/18  
सकाधि

विधि अधिकारी  
सलाहकार

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.08.2018 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को खेलकूद आधार पर बिना बारी के अधिकारी ग्रेड प्रदान करने की नीति निर्धारित की गई है।

विभिन्न रेलों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें कई स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इनकी जांच की गई है और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:

क्र.सं.	प्रश्न	क्र.सं.	स्पष्टीकरण
1	क्या बोर्ड के दिनांक 17.08.2018 के पत्र के तहत बोर्ड की नीति को रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।	1	यह नीति रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से जारी की गई है।
2	क्या महाप्रबंधकों की शक्तियों के अधीन उक्त खिलाड़ियों को एकोमोडेट करने के लिए मैचिंग सर्रेंडर सहित विशेष अधिसंख्य ग्रुप 'बी' पद सृजित किया जाए।	2	खिलाड़ी को पदोन्नत करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के किसी भी मौजूदा रिक्त ग्रुप 'बी' पद का इस नीति के अंतर्गत ओएसडी (खिलाड़ी) के रूप में उपयोग किया जाए।

Praveen

Praveen  
10/10/19

10/10/19

3	क्या अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति में भी उन उपलब्धियों पर विचार किया जाए, जिसके लिए ग्रुप 'सी' में बिना बारी के पदोन्नति/वेतनवृद्धि दी गई है।	3	खिलाड़ियों को अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए उपलब्धियों (जिसके लिए ग्रुप 'सी'/अराजपत्रित कोटि में बिना बारी पदोन्नति/वेतनवृद्धि पहले ही दी जा चुकी है) पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते वह बोर्ड के दिनांक 17.08.2018 के पत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों।
---	---	---	--

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(भास्कर रॉय चौधरी)

उप निदेशक, स्थापना (खेलकूद)  
रेलवे बोर्ड

सं.2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलों और अन्य इकाइयां।

जि.व.स.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019

प्रतिलिपि:

1. मानद महासचिव, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के खेलकूद संघ।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
3. महासचिव, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, 7-जीएफ, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नंबर 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन [Signature]  
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड